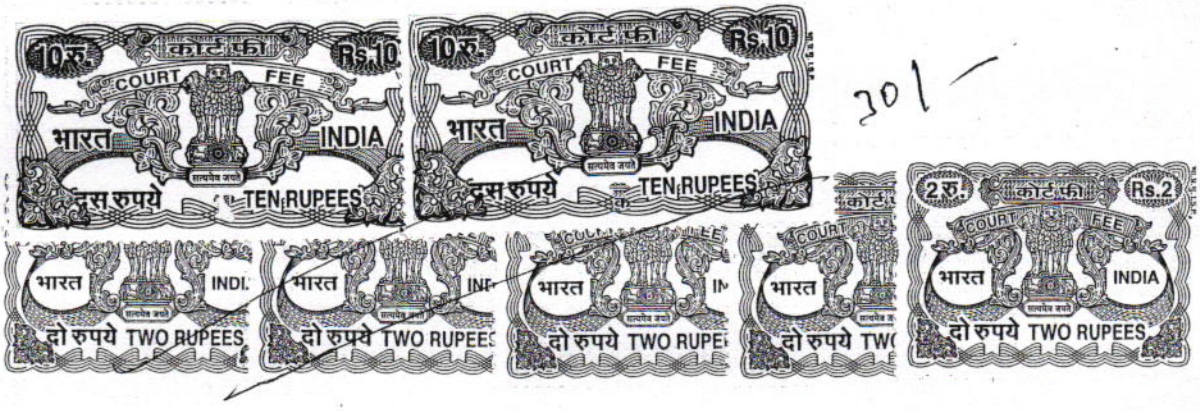

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, (कैंप सागर) जिला सागर

म.प्र.

सीताराम काछी (पटेल) पिता श्री दयाराम पटेल उम्र करीब 50 वर्ष,
निवासी वार्ड क्र.9 तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

..... आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. तंसु पिता रघुनाथ काछी (पटेल) उम्र करीब 55 वर्ष
   निवासी ग्राम मडिया तहसील बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.
2. मुकेश पिता रूपसिंह काछी (पटेल) उम्र करीब 38 वर्ष
   निवासी वार्ड क्र.9 पथरिया तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.
3. रामप्रसाद पिता गोबर्धन काछी (पटेल) उम्र करीब 35 वर्ष
   निवासी ग्राम बांसाकला तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

.....अनावेदक / उत्तरदाता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय राजस्व मंडल के समक्ष यह पुनरीक्षण अधिनस्थत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के राजस्व अपील प्रकरण क्र.39अ / 6 वर्ष 2014–15 तंसु पटेल विरूद्ध लखन + अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.10.2015 से परिवेदित होकर वैधानिक तथ्यों पर विधिअनुसार निराकृत किये जाने बाबत् सादर प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के तथ्य

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखितानुसार प्रार्थी है :–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता सीताराम पटेल अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पथरिया के नामांकित प्रकरण में उत्तरवादी क्र.2 पर संयोजित है जिसके विरूद्ध विधि विपरीत एवं गलत तथ्यो के आधार पर राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील को परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अवधि बाहय अपील को बिना किसी वैध व युक्ति युक्त कारण के अवैध तरीके से स्वीकार किया गया है जिसे विधि विपरीत होने से अपील अविलंब न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

एच. के. चक्रवर्ती
एडवोकेट
सिविल कोर्ट सागर (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3675-दो/2015 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सीताराम विरुद्ध संघ	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री हृदेश चकवर्ती उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 19.10.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश से प्रकरण में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अभी गुणदोष पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के वर्तमान में हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 19.10.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार वर्तमान में परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रक्रियाओं के अनुसारण में गुणदोष के आधार पर नीतिगत निर्णय पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	